कार्यालय : नगर निगम, गोरखपुर

आवश्यक सूचना/प्रस्ताव **दिनांक** 16.12.20

नगर निगम, गोरखपुर में सम्पत्ति रजिस्टर (कर निर्धारण सूची) को स्कैन कर डिजिटाइजेशन करते हुए नगर निगम, गोरखपुर में अधिष्ठापित सर्वर पर डिजिटाइजेशन डाटा स्टोर किया जाना है। इस कार्य को करने हेतु अनुभवी संस्थाओं से जो यह कार्य करने में सक्षम हो एवं उनके पास उच्च गुणवत्ता का ए–2 साइज स्कैनर उपलब्ध हो, से पूर्व विवरण सहित जिसमें प्रति पेज स्कैन का समस्त दर उल्लेखित हो से प्रोजेक्ट दिनांक 29.12.20 सायंकाल 4.00 बजे तक कम्प्यूटर विभाग मे आमंन्त्रित किया जाता है। उपरोक्त कार्य नगर निगम, गोरखपुर के कार्यालय में सम्पादित किया जायेगा। विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं शर्ते नगर निगम के कम्प्यूटर विभाग से प्राप्त की जा सकती है एवं नगर निगम गोरखपुर कि वेबसाईट **https://nagarnigamgkp.org** पर भी देखा जा सकता है, प्राप्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के निर्णय का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा।

क्र0सं0	**कार्य का नाम**
1	सम्पत्ति रजिस्टर (कर निर्धारण सूची) जो 13''इंच चौडा व 16'' इंच लम्बा है

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर
नगर निगम गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

नियम एवं शर्ते

1–नगर निगम गोरखपुर मे सम्पत्ति रजिस्टर कर निर्धारण सूची जिसकी लम्बाई 16 इंच व चौडाई 13 इंच है। कर निर्धारण सूची जो उपलब्ध है वह काफी पुराना है जिसके पन्ने अत्यन्त पुराना/जीर्ण अवस्था मे है जिससे गुणवत्तापूर्वक स्कैन कर नगर निगम, गोरखपुर में अधिष्ठापित सर्वर पर अपलोड करना है।

2– कार्यदायी संस्था के पास उच्च गुणवत्ता का ए–2 साइज का स्कैनर उपलब्ध होना आवश्यक है।

3– कार्यदायी संस्था को डिजिटाइजेशन कार्य को साफ्टवेयर विकसित कर सम्पूर्ण स्कैन को मुहल्ले वाईज कर निर्धारण रजिस्टर को स्कैन कर हार्ड एवं साफ्ट कापी तैयार की जानी है। साफ्टवेयर मे यह भी सुविधा दी जानी है, उपरोक्त कर निर्धारण सूची नगर निगम की वेबसाईट से लिंक रहेगी ताकि कोई भी करदाता लिंक से सर्च कर अपना पूर्ण विवरण देख सके।

4–कार्यदायी संस्था को कार्यादेश प्राप्त होने के उपरान्त निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निस्पादित करना होगा।

5– कार्यदायी संस्था को अपने दिये गये प्रोजेक्ट मे स्कैनर व तकनीकी विवरण का उल्लेख आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा एवं नगर निगम गोरखपुर के कार्यालय मे उपरोक्त कार्य का समिति के समक्ष डेमो देना भी अनिवार्य होगा।

6– साफ्टवेयर का निर्माण नगर निगम, गोरखपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार करना होगा।

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर
नगर निगम,गोरखपुर